भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .5388
25.03.2026 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि पर जीएसटी का बोझ

5388. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीमित संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) निधि और इस पर जीएसटी का बोझ कई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अवसंरचना विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संसद सदस्यों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के रूप में प्रतिवर्ष केवल पांच करोड़ रुपये प्राप्त करने के मुद्दे पर कोई आंतरिक समीक्षा की है या कोई रिपोर्ट तैयार की है जबकि देश के कई राज्यों में एक विधायक को विकास कार्यों के लिए इतनी ही राशि प्राप्त होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार योजना की प्रभावकारिता को बढ़ाने और असमानता को दूर करने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में वृद्धि करने और उन्हें कर-मुक्त का दर्जा देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत, प्रत्येक माननीय संसद सदस्य प्रतिवर्ष ₹ 5.00 करोड़ राशि का हकदार है। जबकि विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडीएस) के अंतर्गत वार्षिक पात्रता राज्यों में भिन्न-भिन्न हो सकती है और यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

एमपीलैड्स योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक संसद सदस्य को लोगों की स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकासात्मक कार्यों की संस्तुति करने में सक्षम बनाना है, जिसमें समाज के व्यापक जनहित के लिए टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया गया है।

एमपीलैड योजना के तहत अनुमत कार्यों में सार्वजनिक और सामुदायिक भवन, सार्वजनिक सुविधाएं, सुरक्षा एवं संरक्षा, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पेयजल एवं स्वच्छता सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। संबंधित मंत्रालय और विभाग भी इन क्षेत्रों के अंतर्गत विशिष्ट योजनाएं लागू करते हैं। एमपीलैड्स योजना का उद्देश्य इन पहलों को प्रतिस्थापित करना या उनकी नकल करना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर अभिज्ञात जरूरतों के आधार पर अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करना और व्यवहार्यता संबंधी कमियों को दूर करना है।

एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 माननीय सांसदों को अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारी योजनाओं के तहत व्यक्तिगत या स्वतंत्र परियोजनाओं के साथ-साथ स्थानीय निकायों की परियोजनाओं के साथ एमपीलैड्स निधि को उपभोग करने की अनुमति भी देते हैं, ताकि जमीनी स्तर पर बेहतर प्रभाव के लिए अनुमेय कार्यों की संस्तुति की जा सके।

(ग) मंत्रालय नियमित रूप से विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त करता है और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निधि पात्रता में संशोधन के प्रस्तावों सहित उनकी जांच करता है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, दोनों के सदस्य वाले संवैधानिक निकाय जीएसटी परिषद की संस्तुति के आधार पर जीएसटी दरें और छूट निर्धारित की जाती है। एमपीलैड निधि के तहत किए गए कार्यों पर जीएसटी से छूट देने का अनुरोध 28-29 जून 2022 को आयोजित 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में उसके समक्ष रखा गया था। हालांकि, परिषद ने किसी भी बदलाव की संस्तुति नहीं की।
